



बिहार सरकार

**कार्यालय : निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,  
राजवंशीनगर, पटना।**



Website: [www.Injporthohospital.org](http://www.Injporthohospital.org), E-mail- Injpnhospital@gmail.com

**आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत रोगियों को भोजन/नाश्ता आपूर्ति हेतु निविदा**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अन्तर्गत रोगियों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में 24X7 सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत रोगियों के लिये भोजन/नाश्ता आपूर्ति हेतु इच्छुक और सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों से कम्प्यूटरीकृत टंकित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग—अलग दो लिफाफों में कर, एक बड़े लिफाफों में सील बंद कर व उक्त लिफाफे पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत रोगियों के लिये भोजन/नाश्ता आपूर्ति हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित कर निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर सिर्फ निर्बंधित डाक से निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को पूर्वाहन 11.00 बजे निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पटना के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय शर्त कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में **Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna** के नाम से ₹0 1000/- का डिमान्ड ड्रॉफ्ट (Non-Refundable) बनाकर अपने लेटर पैड के माध्यम से एक आवेदन निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, पटना के कार्यालय कक्ष में जमा करने के पश्चात् ही प्राप्त की जा सकती हैं। तत्पश्चात् ही संस्था निविदा डालने के लिए अधिकृत होंगे। विस्तृत जानकारी के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के वेबसाईट पर [www.Injporthohospital.org](http://www.Injporthohospital.org) अथवा [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) पर देखा जा सकता है।

(क.) स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-648(10) दिनांक: 07.02.2015 के द्वारा सरकारी अस्पताल में पथ्य (फुल डायट नार्मल Energy - 3500 kcal/protein-100gm) की अधिकतम दर 97.69 ₹0 प्रतिरोगी प्रतिदिन निर्धारित किया गया है के आलोक में संस्था द्वारा रोगियों के लिये भोजन/नाश्ता आपूर्ति हेतु प्रतिदिन प्रतिरोगी जो सरकार द्वारा निर्धारित दर से 10 (दस) प्रतिशत से ज्यादा कम न हो का दर वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा, जिससे न्यूनतम दर के आधार पर L1 का चयन किया जायेगा। संस्था द्वारा अंतःकक्ष रोगियों को निम्न मीनू के आधार पर भोजन/नाश्ता उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यों की विवरणी निम्नलिखित है:-

सुबह में	पावरोटी 02 पीस या रोटी 02 पीस 50 ग्राम (Aluminum foil में), छुहारा 02 पीस, सुजी का हल्वा 100 ग्राम, चना या चना दाल डाला हुआ कद्दू/नेनुआ/मिक्स हरा सब्जी (हल्का मसाला डाला हुआ) 100 ग्राम, हल्का मसाला में फ्राई किया हुआ फुला अंकुरित चना 100 ग्राम, फ्राई किया हुआ हरा मिर्च 2 पीस, चाय 01 कप एवं अंडा 02 पीस/ मौसमी फल जैसे—केला 04 पीस/सेव 100 ग्राम/संतरा 100 ग्राम/अंगूर 100 ग्राम/पपिता 100 ग्राम एवं अन्य।
दोपहर में	रोटी 02 पीस (Aluminum foil में) एवं कतरनी या बासमती चावल 125 ग्राम, दाल (चना/अरहर/मुंग/मसुर) 100 ग्राम, हरा सब्जी 100 ग्राम, लिज्जत पापड हॉफ पीस, दही 50 ग्राम (डिब्बावाला), पुदीना/धनीया का पत्ता की चटनी 2 (दो) चम्मच, फ्राई किया हुआ हरा मिर्च 2 पीस, नीबू हॉफ पीस एवं सलाद 100 ग्राम।
शाम में	आरारोट बिस्कुट 02 पीस, फुला हुआ अंकुरित हरा मूंग 50 ग्राम, रोग प्रतिरोधक क्षमता वेजिटेबल जूस यथा टमाटर, पालक, गाजर, चूकंदर, लहसुन, अदरक, जीरा, गोलकी मिर्च, लौंग, तुलसी पत्ता एवं गुड़ को मिलाकर एक कप एवं चाय 01 कप।
रात में	रोटी 04 पीस, (Aluminum foil में), दूध 500 ग्राम (सुधा या अमूल पॉकेट वाला), चीनी/गुड़ भूरा 25 ग्राम, हरा सब्जी 100 ग्राम, फ्राई किया हुआ हरा मिर्च 2 पीस एवं सलाद 100 ग्राम।

27/04/2020

27/04/2020

27/04/2020

27.04.20

27.04.2020

- (01) भोजन/नाश्ता भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों के अनुसार होना चाहिए।
- (02) संस्था द्वारा भोजन/नाश्ता ब्रांडेड कम्पनी के स्टील थाली/टिफिन (खंदा वाला) में उपलब्ध कराना होगा।
- (03) दूध, जूस, चाय—कॉफी आदि पैक कन्टेनर में देना होगा।
- (04) शुद्ध पेयजल हेतु ब्रांडेड कम्पनी का ( RO Machine/Water Purifier ) लगाना एवं रख - रखाव करना होगा।
- (05) संस्था के द्वारा लॉगबुक संधारण करना होगा जिसका प्रारूप अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्गत किया जायेगा।
- (06) मीनू के अनुरूप भोजन/नाश्ता ताजा एवं स्वादिष्ट होना चाहिए।
- (07) विभिन्न प्रकार के रोगियों जैसे डायबेटिक, रेनल वैगैरह के अनुकूल परामर्शी/ आहार विशेषज्ञ (डायटीशियन) द्वारा निर्धारित मेनू के अनुरूप भोजन/नाश्ता एकरारनामा में दर्शाये गये शर्तों के अनुकूल देना होगा।
- (08) स्वास्थ्य विभाग के तरफ से अगर प्रतिरोगी प्रतिदिन के निर्धारित दर में किसी प्रकार की घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी होती है तो भुगतान नये दर को तत्काल लागू कर किया जायेगा।
- (09) रोगियों को आपूर्ति किया गया भोजन/नाश्ता से संबंधित ( जिसकी सम्पुष्टि अस्पताल प्रशासन द्वारा कराने के पश्चात् ही संस्था को भुगतान किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना सम्पुष्टि के संस्था को भुगतान नहीं किया जायेगा ) विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान किया जायेगा।
- (10) अस्पताल प्रशासन द्वारा अस्पताल परिसर में उपलब्ध कराई गई रसोई घर में लगा हुआ सभी प्रकार के बल्ब, तार अथवा बिजली संबंधित सामग्री की किसी भी प्रकार की भी क्षति होती है तो उक्त परिस्थिति में बदलना/मरम्मति एवं रख—रखाव संस्था द्वारा किया जायेगा।
- (11) भोजन/नाश्ता बनाने एवं रख—रखाव हेतु कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों के अंदर संस्था के नाम से खरीदी गई कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर, फ्रिज एवं सभी प्रकार के सामग्री (शोरूम से निकाली गई नई सेट) से संबंधित सभी प्रमाण—पत्र, कैशमेमों, कागजातों की मुल प्रति की छाया—प्रति अस्पताल के कार्यालय कक्ष में जमा करना होगा। तत्पश्चात् ही भोजन वैगैरह आपूर्ति हेतु संस्था के साथ अस्पताल प्रशासन द्वारा एकरारनामा किया जायेगा।
- (12) रसोई घर में किसी भी स्थिति में बिजली हीटर का प्रयोग नहीं करना है।
- (13) रसोई घर के अन्दर या बाहर कोई अन्य व्यापारिक गतिविधियाँ (Birthday Party & Other Parties) अस्पताल प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं करना है।
- (14) वार्डों में भर्ती रोगियों की सूची प्राप्त कर प्रतिदिन प्रति रोगी को उनके बेड पर भोजन बैट्री युक्त रिमोट चालित ट्रॉली से उपलब्ध कराना होगा।
- (15) अस्पताल प्रशासन द्वारा अस्पताल परिसर में किये जाने वाले सभी तरह के सरकारी कार्यक्रमों हेतु आवश्यकतानुकूल भोजन/नास्ता/चाय वैगैरह की अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर समुचित व्यवस्था के तहत उपलब्ध करना होगा।
- (16) भोजन/नाश्ता का मीनू एवं मूल्य तालिका के अनुरूप प्रदर्शित करने हेतु 5 फुट x 3 फुट डिस्प्ले बोर्ड पर लिखा हुआ टांगना होगा।
- (17) खाद्य सामग्रियों में वेजीटेबल ऑयल का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
- (18) अस्पताल प्रशासन द्वारा समय—समय पर ऑयल एवं अन्य खाद्य सामग्रियों का नमूना संग्रह कर उसे जॉच हेतु खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला को भेजा जायेगा। मिलावट पकड़े जाने पर एकरारनामा रद्द कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए अगले दस वर्षों तक के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- (19) निविदा में दिये गये कार्य की अनिवार्यता की विवरणी के अनुरूप अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्गत निविदा शर्त (क) के आलोक में रोगी को भोजन/नाश्ता के आधार पर दर अंकित करना होगा, उक्त कार्य की अनिवार्यता के आलोक में गणना से कम राशि अंकित करने पर वित्तीय निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। यह मान्य नहीं होगा कि दर निर्धारण के समय रोगी का भोजन/नाश्ता का दर से कम दर अंकित करते हुए संस्था कहती है कि मैं अपने खर्च से कार्यों का संपादन एकरारनामा के अनुरूप करूँगा।
- (20) दुर्घटना से ग्रसित या किसी भी रोग से संबंधित भर्ती रोगी के परेशानी, लोक—लज्जा एवं मानवता को ध्यान में रखते हुए भोजन/नाश्ता देने के समय रोगी का अंगूठा का निशान अथवा हस्ताक्षर किसी भी परिस्थिति में संस्था द्वारा नहीं कराया जायेगा संस्था का भुगतान कार्यालय में उपलब्ध भर्ती रजिस्टर में

(ii) 27.04.2020  
27.04.2020  
27.04.2020

27.04.2020  
27.04.2020

27.04.2020  
27.04.2020

अंकित रोगी के नाम की गणना के आधार पर किया जायेगा, महिला रोगियों का भोजन/नाश्ता महिला कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराना होगा, साथ ही खाना बनाने वाला एवं बॉटने वाला मास्क एवं दस्ताना युक्त होना चाहिए।

- (21) अस्पताल परिसर में रोगी के हित में अस्पताल भवनों का विस्तार किया जा रहा है। विस्तार होने के उपरान्त अस्पतालों में रोगी की वृद्धि हो जायेगी। उक्त परिस्थिति में आवश्यकतानुसार क्रय समिति द्वारा प्रति रोगी प्रतिदिन के लिए निर्धारित L1 दर के आधार पर भोजन/नाश्ता संस्था के द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

(ख) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों का तकनीकी निविदा हेतु शर्तों एवं योग्यताओं से संबंधित सभी प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति तकनीकी निविदा आवेदन (प्रारूप में प्रमाण-पत्रों एवं संबंधित कागजानामों की संख्या टर्माने द्वा) के जाश अंतर्कातमा दोपा।

- (01) निविदादाता द्वारा निर्गत तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।

(02) गैर सरकारी संस्थाओं का सोसाईटी एकट 21,1860 के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा कम्पनियों का कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा फर्म/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एकट “1953” के अधीन निबंधित होना चाहिए, का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(03) निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में रु०-1,00,000/- (एक लाख रु० मात्र) (चयनित संस्था का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट एकरारनामा अवधि तक Non-Refundable) का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जो Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna. के नाम देय होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(04) ESI निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(05) EPF निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(06) बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एकट “1953” के अधीन निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(07) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों के नाम का पैन कार्ड की छाया-प्रति संलग्न करना होगा। अगर निविदादाता फर्म/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का प्रोफराईटर हैं तो निविदादाता का पैन कार्ड की छाया-प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(08) खाद्य अनुज्ञाप्ति निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(09) TIN No. एवं GST No. निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(10) उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) द्वारा निर्गत उद्योग आधार निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(11) निविदादाता को अपने संस्था के नाम से खोली गई Current Account के तहत बैंक द्वारा निर्गत 1,00,000/- रुपये तक का Solvency Certificate 1,00,000/- रुपये का Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna के नाम से Fixed Deposit या डिमाण्ड ड्रॉफ्ट संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(12) Current Account (सिर्फ एक बैंक का स्टेटमेंट) खोलने की तिथि से निविदा प्रकाशन तिथि के बाद तक का बैंक स्टेटमेंट की प्रत्येक प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले के बैंक खाते का होना चाहिए।

(13) विगत तीन वर्षों का आयकर Return (Assessment Year - 2017-18, 2018-19, 2019-20) प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

(14) आउटसोर्सिंग के तहत व्यवसाय में विगत तीन Financial Year (FY- 2016-17, 2017-18, 2018-19) को मिलाकर कुल टर्न ओवर 1,50,00,000/- (एक करोड़ पच्चास लाख रुपये) होने का मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा। अगर आउटसोर्सिंग के व्यवसाय में विगत तीन वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगा तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का तकनीकी निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(15) निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि उन पर या उनकी

~~2021.4.27~~

Le- 23/04/2020 Gina 23/04/20 3

271412

Bandra  
27-04-2020

संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं हैं एवं न्यायालय या थाना द्वारा दण्डित नहीं किया गया है तथा संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है, शपथ –पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

- (16) निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक श्रमिक एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करें एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित दर पर एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों को श्रमिकों के बैंक खाता में संरक्षा द्वारा भुगतान किया जाएगा। तत्पश्चात् ही उक्त माह का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगें, शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(17) निविदादाता के आवास (रथाई/अरथाई) का आवासीय प्रमाण-पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(18) निविदादाता का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले अथवा बाद का बना होना चाहिए।

(19) निविदादाता का आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(20) निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि संरक्षा पर विहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/विहार सरकार के किसी भी विभागों/कार्यालयों में विभिन्न प्रकार का आरोप— यथा (आउट-सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार-बार मौखिक कहने के बावजूद कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की माँग, के तहत प्राप्त असंतोष जवाब होने के आलोकनार्थ तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कृटौती किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कृटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण-पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम संस्थान/सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी/भ्रामक/आधा-अधुरा पाये जाने का आरोप) नहीं लगा है, शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(21) वर्तमान के लेबर एक्ट के अनुसार कर्मी को उचित दर पर वेतनमान देने का प्रमाण कार्यालय द्वारा सत्यापित कराना होगा।

## तकनीकी निविदा का प्रारूप

क्रम सं०	प्रमाण पत्रों, शपथ पत्रों, ड्रॉफ्ट की पूरा विवरण।	प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/ड्रॉफ्ट सं०/निबंधन सं०/पत्रांक सं०	कार्यालय द्वारा निर्गत तिथि	कागजातों की क्रमबार संख्या	कागजातों की कुल संख्या
1	तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।			01 To	
2	संरथा का निबंधन प्रमाण पत्र।			To	
3	अग्रधन राशि, 1,00,000/- (एक लाख) रुपये का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट।			To	
4	ESI निबंधन प्रमाण पत्र।			To	
5	EPF निबंधन प्रमाण पत्र।			To	
6	बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधन प्रमाण-पत्र।			To	
7	पैन कार्ड की प्रति।			To	
8	खाद्य अनुज्ञाप्ति निबंधन प्रमाण पत्र।			To	
9	TIN No. , एवं GST No. निबंधन प्रमाण-पत्र।				
10	उद्योग विभाग द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र।				
11	Solvency Certificate या fixed deposit या डिमाण्ड ड्रॉफ्ट 1,00,000/- लाख रुपये का।				

~~(b)~~  
g7. 6.20

27/04/2020

27/4/12

Bandra  
27.04.2020

12	Current Account बैंक स्टेटमेंट एकाउन्ट नं० सहित।			
13	विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति।	2017-18 :- 2018-19 :- 2019-20 :-	To To To	
14	विगत तीन Financial Year को मिलाकर कुल टर्न ओवर 1,50,00,000/- (एक करोड़ पच्चास लाख ) रुपये की प्रति।	2016-17 :- 2017-18 :- 2018-19 :-	To To To	
15	निविदादाता पर या उनकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं हैं एवं न्यायालय या थाना द्वारा दण्डित नहीं किया गया है तथा संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है, का शपथ—पत्र।			To
16	श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक श्रमिक एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेंगे एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित दर पर एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों को श्रमिकों के बैंक खाता में संस्था द्वारा भुगतान किया जाएगा। तत्पश्चात् ही उक्त माह का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे, का शपथ—पत्र।			To
17	निविदादाता का आवास (स्थाई/अस्थाई) का आवासीय (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) प्रमाण—पत्र।			To
18	निविदादाता का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र।			To
19	निविदादाता का आधार कार्ड की प्रति।			To
20	बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी विभागों/कार्यालयों में विभिन्न प्रकार का आरोप— यथा (आउट—सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार—बार मौखिक कहने के बावजूद कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की माँग के तहत प्राप्त असंतोष जवाब एवं असंतोष जवाब होने के आलोकनार्थ तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई			To

27.04.2020  
27.04.2020  
27.04.2020

27.04.2020

Bandra  
27.04.2020

कागजातों/प्रमाण-पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम संस्थान/सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी/भ्रामक/आधा अधूरा पाये जाने का आरोप) नहीं लगा है, का शपथ-पत्र।			
	कुल योग:-		

## निविदादाता की पूर्ण विवरणी

01	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों का पूरा पता :-	
02	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पद नाम :-	
03	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पूरा नाम :-	
04	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का जन्म तिथि :-	
05	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता के पिता का नाम :-	
06	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का मोबाइल नॉ :-	

### निविदादाता का हस्ताक्षर :

(ग) स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-648(10) दिनांक: 07.09.15 के द्वारा सरकारी अस्पताल में पश्य (फुल डायट नार्मल Energy-3500 kcal/protein-100gm) की अधिकतम दर 97.69 रु० प्रतिरोगी प्रतिदिन प्रति रोगी निर्धारित किया गया है के आलोक में संस्था द्वारा रोगियों के लिये भोजन/नाश्ता आपूर्ति हेतु प्रतिदिन प्रति रोगी जो सरकार द्वारा निर्धारित दर से 10 (दस) प्रतिशत से ज्यादा कम न हो का दर वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा, जिससे न्यूनतम दर के आधार पर L1 का चयन किया जायेगा। संस्था द्वारा अंतःकक्ष रोगियों को निम्न मीनू के आधार पर भोजन/नाश्ता उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यों कि विवरणी निम्नलिखित है।

अंतःकक्ष रोगियों को निम्न मीनू के आधार पर भोजन/नाश्ता उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यों की विवरणी निम्नलिखित है	प्रतिदिन प्रतिरोगी का एकमुश्त दर

(घ) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शर्तों की पूर्ण विवरणी :-

- (01) निविदा आवेदन में किसी प्रकार का कटिंग अथवा हाथ से लिखा हुआ निविदा आवेदन (तकनीकी/वित्तीय) अथवा ओवर राइटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा अन्यथा उक्त निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (02) कर्मियों/श्रमिकों की उम्र अधिकतम 60 वर्ष से ज्यादा एवं न्यूनतम 21 वर्ष से कम नहीं होगा। कर्मियों की मानसिक एवं शारीरिक रिथ्टि अच्छी होनी चाहिए।
- (03) तकनीकी निविदा बिन्दुवार शर्तोंनुकूल किसी निविदादाता द्वारा निविदा आवेदन के साथ एक भी शर्त पूरा नहीं करते हैं

Bihari  
07/09/2020

M  
27.4.20

J  
27.09.2020

J  
27.4.20

Banda  
27-04-2020

- तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का तकनीकी निविदा अखीकृत कर दिया जायेगा। यथा सभी प्रमाण-पत्रों को निविदा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (04) तकनीकी निविदा आवेदन के साथ संलग्न तकनीकी प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन के दौरान निविदादाता द्वारा सभी शर्तों को पूरा करता है तो उक्त परिस्थिति में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा चयन समिति/निर्धारण समिति के समक्ष खोला जायेगा।
- (05) निविदा आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण-पत्र निविदा प्रकाशन के पूर्व का निवंधित अथवा सेवा विस्तार होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वैसे प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, जिसका निवंधन अथवा सेवा विस्तार के लिए संबंधित विभाग में आवेदन (अप्लाई फॉर) दिया गया हो।
- (06) निविदा में दर्शाई गई सभी शार्तेनुकूल सेवा उपलब्ध कराने हेतु आनेवाली सभी प्रकार का खर्च निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा (इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा)।
- (07) आउटसोर्सिंग के तहत की जा रही कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित अस्पताल के किसी भी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। प्रभारी पदाधिकारी से की गयी लिखित शिकायत आवेदन पर अस्पताल प्रशासन द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा जाँचोंपरान्त ही निविदादाता को दण्डित अथवा आर्थिक दण्ड अथवा कार्यमुक्त किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना जाँचोंपरान्त संस्था पर कोई कार्यवाही नहीं किया जायेगा।
- (08) यह कार्य आउटसोर्सिंग के आधार पर किया जा रहा है। कार्य में संलग्न किसी भी कर्मी/श्रमिकों का सरकारी कर्मचारी के रूप में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- (09) किये गये कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा। भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर व्याज देय नहीं होगा। इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार की अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि संस्था बीच में कार्य बाधित करते हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्था का अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- (10) आवश्यक कर कटौती के बाद ही भुगतान होगा।
- (11) कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु अस्पताल प्रशासन द्वारा कमरा अथवा शेड सहित समतल जमीन से 03 फीट उंचाई तक सिमेंटेड बेस एवं रैक बनाकर दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में निविदादाता द्वारा परिसर के अन्दर कोई भी स्थाई निर्माण संबंधित कार्य अपने स्तर से नहीं कराया जायेगा।
- (12) निविदा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र/कागजात को निर्गत विभागों द्वारा वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व/पश्चात् अथवा कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व/पश्चात् अथवा एकरारनामा होने के पूर्व/पश्चात् अथवा किसी भी समय जाँचोंपरान्त फर्जी पाई जाती है अथवा शपथ-पत्र में गलत सूचना देते हैं तो निविदादाता के विरुद्ध अविलम्ब स्थानीय थाना में एफ०आई०आर० दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जायेगा तथा तत्काल उक्त संस्था को अगले 10 वर्षों तक के लिए काली सूची में नाम दर्ज करते सहित निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- (13) कर्मियों एवं संचालकों को अस्पताल कर्मियों के प्रति व्यवहार मृदु एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। यदि कर्मियों का व्यवहार अस्पताल प्रशासन द्वारा अच्छा नहीं पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में ऐसे कर्मियों को तत्काल हटाते हुए नए कर्मियों को निविदादाता द्वारा रखा जायेगा।
- (14) निविदा में सफल होने के पश्चात् निविदादाता को अद्योहस्ताक्षरी के साथ 1000/-NON JUDICIAL STAMP पर एकरारनामा करना होगा एवं एकरारनामा होने के 15 दिनों के अन्दर निविदा शर्तेनुकूल कार्य प्रारंभ करना होगा।
- (15) अनुबंध तीन वर्ष के लिए मान्य होगा सेवा संतुष्टि के आधार पर इसे विस्तारित किया जा सकता है।
- (16) L1, L2 दर के आधार पर पैनल बनाकर रखा जायेगा, बीच में कार्य छोड़कर जाने वाले अथवा बर्खास्त किये गये संस्था से हुई रिकितयों को इसी पैनल के L2 दर अंकित करने वाले संस्था से L1 के दर पर उक्त कार्य कराया जायेगा।
- (17) अस्पताल प्रशासन के द्वारा बिना कारण बताते हुए निविदा पुर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं अस्पताल प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा पटना उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा किया जायेगा।
- (18) श्रमिक कार्य करने की अवधि के दौरान निर्धारित पोशाक में कार्य करेंगे जिसकी उपस्थिति अस्पताल प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी पदाधिकारी/कर्मी के पास संधारित होगा।
- (19) अस्पताल परिसर अन्तर्गत संस्था द्वारा रखी गई सभी प्रकार के (सेवा विस्तार नहीं होने के आलोक में) सामग्री एकरारनामा अवधि रामाप्त होने के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर अस्पताल परिसर से हटाना होगा। तत्पश्चात् ही 36वां माह का विपत्र एवं अग्रधन के रूप में जमा की गयी डिमाण्ड ड्रॉफ्ट का भुगतान किया जायेगा। अन्यथा अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी सामग्री जब्त करते हुए संस्था पर प्राथमिकी दर्ज करने सहित कानूनी कार्रवाई किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संस्था पर प्राथमिकी दर्ज करने के आलोक में न्यायालय के निर्णय आने कि तिथि तक एकरारनामा समाप्त होने कि तिथि से रु. 5000/- प्रतिदिन कि दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त 36वां माह का

27/4/2020

27/4/2020

27/4/2020

27/4/2020


Bandra  
27.4.2020

विपत्र एवं अग्रधन के रूप में जमा कि गई डिमाण्ड ड्रॉफ्ट पर अंकित राशि में से करने के पांच भोश राशि का भुगतान किया जायेगा।

- (20) श्रमिकों के आवास (रथाई/अरथाई) का आवारीय प्रमाण-पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) एवं उक्त जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (आवास एवं चरित्र दोनों प्रमाण-पत्र) सहित श्रमिकों का आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति एकरारनामा से पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।
- (21) बाल श्रम तथा अन्य आपराधिक गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।
- (22) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों का श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान संस्था द्वारा (विपत्र के साथ श्रमिकों को कि गई भुगतान संबंधित उक्त बैंक पासबुक कि छायाप्रति संलग्न करना होगा) करने के पश्चात् ही अस्पताल प्रशासन द्वारा संस्था को उक्त माह का भुगतान किया जायेगा निर्धारित समय पर संस्था द्वारा श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में श्रमिकों को भुगतान करने कि तिथि तक रु 5000/-प्रतिदिन के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती की जायेगी।
- (23) अगर दो या दो से अधिक निविदादाता का वित्तीय निविदा में दर समान पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में लॉटरी के माध्यम से कार्य आवंटन हेतु कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

नोट :-

- (I) निविदादाताओं को निर्देश दिया जाता है की तकनीकी निविदा में मांगे गए उपरोक्त कागजात के अतिरिक्त अन्य कोई भी कागजात संलग्न नहीं करेंगे एवं शपथ-पत्र क्रमवारनुकूल अलग-अलग बना होना चाहिए।
- (II) जिस संस्था का बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी विभाग/कार्यालय में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (काली सूची में दर्ज किया गया हो अथवा आउट-सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार-बार मौखिक कहने के बावजूद कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की माँग के तहत प्राप्त असंतोष जवाब एवं असंतोष जवाब होने के अवलोकनार्थ तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण-पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम संस्थान/सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी/भ्रामक/आधा-अधूरा पाये जाने का आरोप) लगा हो तो वे इस निविदा में मांग नहीं ले सकते हैं।
- (III) निविदा आवेदन के साथ सभी शर्तों से संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्व अभिप्राणित छाया-प्रति का क्रमवार नम्बरिंग करके निविदा संबंधित सभी कागजातों को लिफाफा में सीलबंद कर जमा करना होगा(स्व0 अभिप्राणित, क्रमवार, नम्बरिंग नहीं होने के कारण उक्त निविदादाता का निविदा आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा)।
- (IV) नोट एवं निविदा में दर्शाई गई सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अनिवार्य समझा जाए, अगर निविदादाता द्वारा इसका उलंघन किया जाता हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्था का तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने अथवा कार्यादेश निर्गत होने अथवा एकरारनामा होने के पश्चात् अथवा किसी भी समय कार्यादेश एवं एकरारनामा रद्द करते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई सभी भुगतान की वसुली कर सरकारी खजाना में जमा करते हुए संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए कानूनी कार्यवाई की जाएगी।

  
27.4.2020  
निदेशक,

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,  
राजवंशीनगर, पटना।

(ii)  
27.4.2020

  
27.4.2020

  
27.4.2020

  
27.4.2020  
8